कार्यालय
प्रधान मुख्य वन संरक्षक, हरियाणा,
वन विभाग, हरियाणा सरकार,

सी–18, वन भवन, सैक्टर 6, पंचकुला, दूरभाष/फैक्स +91 172 2563988, 2563861, E-mail: cffcpanchkula@gmail.com

क्रमांकः प्रशा–डी–तीन–6998/ 4328 दिनांकः 15-3-17

सेवा में

वन संरक्षक, उत्तरी परिमण्डल,
पंचकुला ।

विषयः Diversion of 8.6535 ha. of forest land for laying of OFC for NOFC Project in Ambala-1 Block by D.E. (Trans.), BSNL, Ambala Cantt., under forest division and District Ambala, Haryana.
Online Proposal No.FP/HR/Others/21371/2016
संदर्भः आपका पत्र कमांक 3506 दिनांक 1–3–2017 ।

कृपया उपर्युक्त विषय पर संदर्भाकित पत्र का अवलोकन करें जिसमें वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 की धारा के अधीन अनुमति मांगी गई है ।

2. सरकार द्वारा जारी आदेश कमांक 1670–व–2–2016/8430 दिनांक 6–5–2016 की अनुरूपता में प्रधान मु वन संरक्षक, हरियाणा, पंचकुला के कार्यालय स्तर पर इस प्रस्ताव का ध्यानपूर्वक अध्ययन करने के पश्चात् विषयाि उद्देश्य हेतु 8.6535 हैक्टेयर वन भूमि के उपयोग के लिए सक्षम प्राधिकारी की सहमति/स्वीकृति उपरान्त स्वीकृ निम्नलिखित शर्तों पर प्रदान की जाती है :–

1. वन भूमि की विधिक परिस्थिति नहीं बदली जाएगी ।
2. इस केस में कोई वृक्ष नहीं काटा जाएगा ।
3. प्रयोक्ता एजैन्सी स्थानीय अधिनियमों/नियमों के अन्तर्गत राज्य सरकार के वन विभाग से वन सर तथा पौधारोपण के हित में राज्य वन विभाग की किसी भी शर्त की पालना करेगी ।
4. उपरोक्त गैर वानिकी कार्य के लिए वन भूमि के सबसे बाहरी किनारे के साथ बिछाई जाएगी खोदी गई जमीन प्रयोक्ता एजैन्सी द्वारा पुनः स्थापित की जाएगी ।
5. प्रयोक्ता एजैन्सी किसी भी प्रकार की वन सम्पदा/पर्यावरण को होने वाली हानि की भरपाई करेगी
6. प्रयोक्ता एजैन्सी किसी भी प्रकार के रख–रखाव के कार्यों के लिए वन विभाग के स्थानीय अधि की अनुमति प्राप्त करेगी ।
7. वन भूमि का उपयोग प्रस्ताव में दर्शाये गए उद्देश्य के अलावा किसी अन्य उद्देश्य के लिए किया जाएगा ।
8. यह स्वीकृति अन्य सम्बन्धित अनुच्छेदों/नियमों/न्यायालय आदेशों/अनुदेशों आदि के अधीन प्र की अनुमति पर निर्भर करती है जैसा कि इस प्रस्ताव पर लागू है ।
9. खाई (trench) की चौड़ाई एक मीटर से अधिक व गहराई दो मीटर से अधिक नहीं होनी चाहिए ।
10. यह स्वीकृति राष्ट्रीय उद्यान व वन्य प्राणी विहार क्षेत्रों में लागू नहीं होगी ।
11. इस स्वीकृति को किसी भी समय स्थगित/रद्द किया जा सकता है यदि उपरोक्त शर्तों में से कि भी शर्त का कार्यान्वयन सन्तोषप्रद नहीं है ।

15/03/17

नोडल आफिसर एवं वन संरक्षक (एफ०सी०)
कृतेः प्रधान मुख्य वन संरक्षक, हरियाणा,
पंचकुला ।

15/3/17

प्रतिलिपिः–

1. वन मण्डल अधिकारी, अम्बाला ।
2. D.E. (Trans.), BSNL, Ambala Cantt.

15/3